[श्री रणधीर सिंह]

मुश्किल यह है कि जो आदमी गाली देता है उसके कान आप नहीं खींचते हैं। ...(व्यवधान)... ये खुद गाली देने वालों में से हैं इसलिए आप इनको मत सुनिये। ...(व्यवधान)...

MR. SPEAKER : Order, order. I must admit I was rather very lenient and tolerant yesterday. I later on wondered why I was so lenient and tolerant yesterday really. I have been extremely lenient yesterday and I really wonder how it happened.

श्री स० मो० बनर्जी : कम से कम ये चीज साफ हो जानी चाहिये कि क्या चीजें प्रेस में जायेंगी और क्या नहीं जायेंगी। ...(व्यवधान)...

MR. SPEAKER : Mr. Banerjee, please sit down. You are speaking much against my request. Yes, Mr. Yajna Datt Sharma.

12.17 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Delay in release of Tariff Commission's Report on price of art-silk yarn

श्री यज्ञदत्त शर्मा (अमृतसर) : मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वैदेशिक व्यापार मन्त्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

'नकली रेशम के धागे के मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन में तथा उसके मूल्य के नियंत्रण और वितरण हेतु एक निकाय गठित करने में हुए विलम्ब तथा इसके फलस्वरूप नकली रेशम उद्योग में उत्पन्न हुआ कथित संकट।''

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N MISHRA) : Mr. Speaker, Sir,

In view of complaints regarding high prices of all types of man-made fibres and yarns the Government of India requested the Tariff Commission in July, 1968 to examine the price structure of all types of man-made fibres and yarns. The Tariff Commission was subsequently requested to submit an interim report on the price structure of viscose filament yarn and staple fibre as the detailed enquiry was expected to take some time. The Commission submitted the interim report in April, 1969. It being an interim report, was not made public on receipt of this report, the Textile Commissioners held discussions with yarn producers and weavers resulting in both the parties coming voluntarily to a mutual agreement covering price and distribution. This agreement had initially a tenure of six months from 1st August, 1969 to 31st January, 1970. It has since been extended upto the end of December, 1970. The voluntary agreement is reported to have worked, by and large satisfactorily.

The final report of the Tariff Commision on viscose and acetate filament yarn and staple fibre was received by the Government on the 10th of April, 1970.

As the report of the Commission requires decisions not merely on price and distribution but also on matters of developmental, fiscal and technical nature, it had to be reffered to different departments, including Technical and Financial Advisers, of the Government for advice.

Much of this work is over and it is now Governments's endeavour to finalise its decision on this report as early as possible.

Government is aware that there has been some rise in the market price of the free sale yarn which represents 45% of the production. Apart from the effect of seasonal rise in demand, the major cause for this appears to be the lock out in one of the rayon producing units located in West Bengal which produces about 13% of the total rayon yarn in the country. I believe it has now resumed working. Another unit, in U. P. which was said to be having some difficulties in reaching full production is now reported to have overcome them. The situation should, therefore, considerably improve in the near future. I have also asked the yarn producers not to create artificial scarcities by diverting

free sale supplies away from the normal consuming units.

The report of the Tariff Commission on the price structure of nylon filament yarn and polyester staple fibre has also been received by the Government on 10th October, 1970 and is being examined. However, a voluntary agreement between the major producers of nylon yarn and the actual users is also in operation since the middle of this year on prices and distribution of nylon yarn. Besides, a substantial quantity of nylon has been imported and some further imports will also be made soon.

The production of all man-made fibres has been steadily increasing and further capacities are being licensed to increase production substantially.

It would, therefore, be evident all possible action is being taken and there is no reason to fear any crisis in the artsilk weaving industry.

श्री यज्ञदत्त शर्मा : जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि धागा पैदा करने वाले उत्पादकों में और बुनकरों में एक समझौता हो गया था और वह समझौता कमोबेश ठीक तरीके से चल रहा है तो उनकी यह बात बिलकुल गलत है। परिस्थिति यह है कि सारे देश के अन्दर इस धागे का उपयोग जितना भी होता था, केवल पंजाब के अन्दर लगभग 15000 पावर-लूम्स हैं जोकि इस धागे का प्रयोग करते थे। अकेले अमृतसर में 9000 पावर लूम्स हैं। 50 प्रतिशत के करीब पावर लूम्स पिछले 6 महीने के अन्दर इस कच्चे माल की कमी के कारण बन्द हो चुके हैं। वस्तुस्थिति यह है जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कारण अमृतसर से आप काफी संबंधित हैं, स्थिति यह है कि अमृतसर की वह इन्डस्ट्री दम तोड़ रही है। मर नहीं सकती इसलिए कि लेबर लाज उसको मजबूर करते हैं। अगर वह बन्द भी कर दे तो सारी फाइनैंशियल लाइबेलिटीज वह निभा नहीं सकती इसलिए उसे बन्द भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका सारा भुगतान जो लेबर आदि का सारा करना है वह सब करने की उनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है और वह चला इसलिए नहीं सकते कि कच्चा माल उन को मिल नहीं रहा है। मार्केट के अन्दर कोई टिकाव नहीं है और एक बस शमशान में बैठ कर वह सांस जैसी ले रही है। पिछले एक वर्ष से लगातार हम इस सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मैं वहां के अनेक उद्योग के लोगों को लेकर श्री दिनेश सिंह और अभी श्री भगत जो यहां पर बैठे हुए हैं इन सारे मंत्रियों के दरवाजे खटखटा चुका हूं। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में टैरिफ कमिशन की स्थापना का जिक्र किया है कि 1968 में टैरिफ कमिशन से इस बारे में जांच करने को कहा गया। इस तरह से सन् 1968 से यह भाव की समस्या चली आ रही है। उसके भाव के बढ़ने का मेरे पास डैटा है और मैं बतला सकता हूं कि 1969 के अन्दर 15 रुपये 8 नये पैसे प्रति किलोग्राम उसका भाव था जबकि सन् 1970 के अन्दर उसका भाव बढ़ कर 17 रुपये 64 नये पैसे प्रति किलोग्राम हो गया। इस तरीके से अब जिस समझौते की बात मन्त्री महोदय ने कही है तो वह समझौता भी मैं समझता हूं कि टेक्सटाइल कमिश्नर महोदय की मध्यस्थता के कारण हुआ। इस तरह से वह समझौता उन दोनों के बीच अर्थात बुनकरों और उत्पादकों के बीच हुआ। उस समझौते के अन्दर भी मोटे तौर पर जो शर्तें तय की गई, 10 प्रतिशत: उन्होंने कच्चा माल विदेश के अन्दर भेज कर निर्यात की दृष्टि से 45 प्रतिशत: बुनकरों को उन के बताये भाव के मुताबिक दिया जायगा, 45 प्रतिशत: वह अपनी चीज खुले बाजार में देंगे। यह समझौता था लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आज तक उन बेचारे बुनकरों को 30 प्रतिशत: से भी कम कच्चा माल मिला है। उस कच्चे माल के अन्दर भाव बढ़ा कर दिये गये हैं। मार्केट के अन्दर खुले तौर पर मनमाने भाव से बेच रहे हैं। जो 10 प्रतिशतः की बात कही

[श्री यज्ञदत्त शर्मा]

थी तो केवल 3 प्रतिशत: का ब्योरा ही आफिशिएल रेकार्ड के अन्दर मिलता है, 7 प्रतिशत: का ब्योरा भी नहीं मिलता। उसका कोई रेकार्ड नहीं है। वह अपने तौर पर बेच रहे हैं और एक घांघली बर्त्ती जा रही है। स्थिति क्या हुई ? टैरिफ कमिशन कायम इसी बात के लिए किया गया था। प्रशुल्क आयोग को दबाव के कारण कायम किया गया। सरकार ने भी उस परिस्थिति को अनुभव किया। बारबार यहां से कहा गया कि यह इंडस्ट्री मर रही है इसको बचाना है और शीघ्र उसके लिए कोई उपाय किया जाय। भाव की दृष्टि से प्रशुल्क उपयोग ने एक अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है। आयोग से अप्रैल 1969 में वह अन्तरिम प्रतिवेदन आ चुका था। उस के अन्दर भाव की दरें कुछ हद तक बताई जा चुकी थीं। यह मन्त्री महोदय ने राज्य सभा के अन्दर हुई बहस के समय स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भाव बढ़ते हैं, भाव दरअसल बेहद बढ़े हैं। इधर यह क्लोलोफार्म सूंघ कर बैठे हुए हैं और उन बेचारे की स्थिति देखने के लिए तैयार नहीं हैं। कारण यह है कि कैबिनैट लैबिल के जो यहां पर मिनिस्टर हैं उनके सुपुत्र रेयन इन्डस्ट्री के अंदर मैनेजिंग डाइरैक्टर बन कर बैठे हुए हैं और वह समझौते को निभायेंगे नहीं।...(व्यवधान)...

श्री के के शाह के सुपुत्र श्री वी के शाह बड़ौदा रेयन इन्डस्ट्री के अन्दर मैनेजिंग डाइरेक्टर बन कर बैठे हुए हैं। अब स्थिति यह है कि समझौता चाहे जो हो यह मोनोलिस्ट समझौते को लागू नहीं करेंगे। जो टैक्सटाइल कमिश्नर की मध्यस्थता द्वारा समझौता तय हुआ था उस समझौते को वह ईमानदारी से नहीं निभायेंगे। जो टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट आई है यह सरकार उसको छापेगी नहीं क्योंकि सरकार के घर में उन के यहां पर हितों के रखवाले और चौकीदार लोग बैठे हुए हैं और इसलिए वह रिपोर्ट छपेगी नहीं। मन्त्री महोदय यदि आज भी इस ओर दयापूर्ण दृष्टि नहीं डालेंगे तो सीमान्त प्रदेश के अन्दर और सीमा के अति निकट यह अमृतसर जो अपने देश की डिफेंस छावनी भी है वहां कोई दो लाख लोग इस इन्डस्ट्री के मातहत पलते हैं चाहे वह मजदूर हैं या उद्योगपति हैं, 2 लाख लोग इस पर खड़े हैं, अगर मन्त्री महोदय उनकी ओर उचित ध्यान अब भी नहीं देंगे तो मुझे बतलाइये कि किस तरीके से उन बेचारों को राहत मिलेगी ? मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय कृपा करके इन प्रश्नों का साफ साफ उत्तर दें और एक भाषा की जादूगरी में जाकर मामले को टालने की कोशिश न करें। मुझे मेरे प्रश्नों का सीधा सादा उत्तर मेहरबानी करके दें।

प्रश्न मेरा बड़ा सीधा है और वह यह है कि प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट कब तक आप सदन के सामने रक्खेंगे ? उसकी निश्चित तिथि बतलाई जाय और अगर तिथि में कोई कठिनाई होती हो तो उस मास का नाम ही बतलाने की मन्त्री महोदय कृपा करें। उन्होंने कहा है कि फाइनल डेट उस को बतलाना अभी उनके लिये मुमकिन नहीं है तो मैं उनकी कठिनाई को महसूस करता हूँ तो वह कृपा करके निश्चित अर्थों में उसका उत्तर दें क्योंकि राज्य सभा में उन्होंने वैरी सून, वैरी सून का बड़ा अखंड पाठ किया है तो मेरा कहना है कि यह वैरी सून बड़ा वेग टर्म है। आप निश्चित तिथि अथवा मास बतलाइये बिलकुल मैथमैटिकल टर्म्स में इस का उत्तर दीजिये। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब तक वह इस प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट सदन के सामने पेश नहीं करते और उसकी सिफारिशों को लागू नहीं करते तब तक इस अंतरिम काल के लिए इस दम तोड़ती हुई इंडस्ट्री के बचाव के लिए उनको राहत देने ताकि उचित दामों के ऊपर

यह कच्चा माल उन्हें उपलब्ध हो सके इस दृष्टि से सरकार क्या व्यवस्था करेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक यह अमृतसर का सवाल है मैं बहुत दूर तक माननीय सदस्य में सहमत हूं कि वहां की हालत अच्छी नहीं रही है । उसका कारण भी मैंने बताया है । दो मिलों से उन को सामग्री दी जाती थी एक केशवराम मिल कलकत्ता से और दूसरी जे के इंडस्ट्रीज कानपुर से । केशवराम मिल में हड़ताल रही जिसके कारण उनको सामान नहीं दिया जा सका । अब मिल चल रही है और वहां अभी-अभी सप्लाई शुरू हुई है और अमृतसर के लोगों को शीघ्र सामान मिल सकेगा । दूसरे जे० के० इन्डस्ट्री में भी रेयन का अपना प्रोडक्शन शुरू किया है और वहां से भी अमृतसर के लोगों को माल मिल जाने की संभावना है । लेकिन यह सही है कि अमृतसर के जो लोग इसको बनाने वाले हैं इस सिथेंटिक माल के बारे में उनको काफी तकलीफ हुई है । इसके अलावा अमृतसर की और भी समस्या है लेकिन उस पर मैं जाना नहीं चाहता । वह बहुत लम्बी चीज है । इन समस्याओं के बारे में अमृतसर में मैंने सर्वे कराया था । उस सर्वे करने का नतीजा यह निकला कि वहां की जो मिलें हैं, करघे हैं, लूम्स हैं उनको मौरडरनाइज करना होगा । उनके तरीके बदलने होंगे ताकि वे एकोनामिक यूनिट हो सके अन्यथा वे एकोनामिक यूनिट नहीं होगी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उस पर सरकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हम उसे देने को तैयार है । हम चाहते हैं कि अमृतसर की यह इन्डस्ट्री बढ़े उसकी ऐक्सपोर्ट पोटेंशिएलिटीज हैं और उनको हमें बढ़ाना चाहिए । टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट के बारे में कहा गया है कि मैंने राज्य सभा में कल बैरी सून, बैरी सून कहा लेकिन इसके साथ ही माननीय सदस्य एक चीज देखना भूल गये और वह यह कि मैंने यह भी कहा था कि दिसम्बर में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है । मैं आज कहना चाहता हूँ कि राज्य सभा के डिबेट के बाद मैंने जाकर कागजों को देखा और मैं इस चीज को यहां पर कहना चाहूँगा कि काफी प्रगति हुई है ।

जहां तक इस मन्त्रालय का सवाल है हम लोगों ने टिप्पणी मांगी थी । हम ने कितनी माँगें की फाइनेन्स मिनिस्ट्री से, इन्डस्ट्रीज मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री आफ केमिकल्स ऐण्ड पेट्रोलियम से क्योंकि वह कंसर्न्ड मिनिस्ट्री हैं । हमारे कागज कैबिनेट के लिये तैयार हैं । इन मंत्रालयों में से बहुतों की टिप्पणियां आ गई हैं । एक मन्त्रालय से बाकी हैं । जब उनके कमेंट्स आ जायेंगे उस वक्त हम उन को लेकर जायेंगे । मुझको अन्दाज है कि इस में ज्यादा से ज्यादा दो या ढाई महीने लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे किसी फैसले पर पहुंचने में । जैसा माननीय सदस्य जानते हैं हम टैरिफ कमिशन की रिकमेंडेशन्स बहुत दूर तक मान लेते हैं ।

SHRI BUTA SINGH (Rupar) : I agree with my hon. friend Shri Yajna Datt Sharma so far as the plight of Amritsar units is concerned. The statement read out the hon. Minister is very vague, evasive and cleverly worded.

Yesterday, the hon. Minister was pleased to state something in the other House which is quite different from what he has stated in this House today. He did not come with the plea that a particular unit was locked in some State and that is why the supply was cut. He gave a very rosy picture to the other House in which he said :

> "The production of rayon filament yarn in the country has steadily increased..."

He was talking of increase in production. Today, what he says is quite different.

MR. SPEAKER : He said only about Amritsar.

SHRI BUTA SINGH : I would go to Amirtsar since it happens to be your area. None else than you can better judge and

[Shri Buta Singh]

know the plight of industrialists and small weaving units engaged in Amritsar.

As regards Amritsar units, I would like to ask a specific question from the hon. Minister. So far, all the members who are interested in this particular problem have been knocking at the doors of various Ministers who have been changing hands at the Centre. Is the present generous Minister prepared to call a meeting of the small weaving units of Amritsar in his office and discuss with them the difficulties being faced by them, give them some solution and some assurance about the mutual agreement ?

This mutual agreement which was very much talked about yesterday in the other House and today in this House is not in practice a mutual agreement. It is an agreement which the Minister terms as "by and large working satisfactorily". It is satisfactorily working for the big business groups which are holding the monopoly of the silk yarn. By whom ? By Government bureaucrats. So, I shall be fully justified if I ask the hon. Minister to let me know as to on whose request this agreement was extended. Was it requested by the small weaving units or was it suggested by big industrialists or was it extended on his own by the Textile Commissioner ?

My hon. friend Shri Yajna Datt Sharma has asked about the price rise. I want to ask only one specific question about the price rise. Is the hon. Minister prepared to tell us as to what are the prices of rayon filament actually recommended by the Tarif Commission ? Is he prapared to state the facts in this House ?

SHRI L. N. MISHRA : So far as giving out the recommendation of the Tarrif Commission is concerned, I cannot give it out before we take a decision on the recommendations of the Tarrif Commission. As Shri Yajna Datt Sharma pointed out, he was very much near the truth that the price of synthetic has come to 17.64 from 15.91. It has come down to 17.57. Earlier it was 17.64 as pointed out by Shri Yajna Datt Sharma.

About Amritsar units, as I have already stated, they have their own problem. He referred to my answer given in the other House. Today, the Call Attention in this House is on the recommendations of the Tarrif Commission. In the other House, the Call Attention was on the situation in Amritsar. So, there cannot be the same answer. Here also, I would like to say that the industry has made a phenomenall progress during the last decade and a half. If he likes, I can give the figures as to how from 5 million Kgs., it has risen to 38 million Kgs. in 1969. The industry has made headway. As regards Amritsar units, as I pointed out, they are tied up with two mills, the Kesoram Mills in Calcutta and the J. K. Industries in Kanpur. The main difficulty arose because of non-supply from these two mills. It is a fact that Amritsar units are hard hit. The hon. Member has suggested about having a meeting with them. I had a meeting with the spinners and I told them not to create an artificial scarcity but to go by the voluntary agreement arrived at in the presence of the Textile Commissioner. They agreed to that. I am told it is being implemented more or less. If another meeting is suggested, I am prepared to meet them and look into their grievances.

SHRI BUTA SINGH : I asked a specific question as to who asked for the extension of this mutual agreement.

SHRI L. N. MISHRA : This agreement was made to help the industries because the Tarrif Commission was taking time and it was feared by the Textile Commissioner that they will take a few months more and extended the terms of agreement. This agreement was a mutual agreement made between both the spinners and weavers in the presence of the Textile Commissioner... (*Interruptions*)

श्री यज्ञदत शर्मा : छोटे आदमी इस ढांचे में बड़े पूंजीपतियों से मांगने नहीं जायेंगे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) : श्री ललित नारायण मिश्र ने जो वक्तव्य दिया है वह काफी निराशाजनक है, लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया है वह क्षोभ पैदा करने वाला है।

श्री मधु पाई (राजापुर) : क्रोध और क्षोभ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्रोध उसके बाद आयेगा ।

मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ और उनके दो टूक उत्तर मांगता हूं । पहला प्रश्न यह है कि अगर सरकार टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इतना समय लेने वाली थी तो टैरिफ कमिशन से यह कहने की जरूरत क्या थी कि इस सवाल पर वह इंटेरिम रिपोर्ट दे । सरकार ने इन्टेरिम रिपोर्ट मांगी इसका मतलब था कि सरकार बढ़े हुए दामों के बारे में चिन्तित थी, उन्हें नियन्वित करना चाहती थी और छोटे उद्योग को सहायता देना चाहती थी । लेकिन इन्टेरिम रिपोर्ट आ गई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की । टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट को आये हुए आठ महीने बीत गये, अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया । मैं जानना चाहता हूं कि कोई कदम नहीं उठाना था तो टैरिफ कमिशन से इंटेरिम रिपोर्ट क्यों मांगी गई ?

दूसरा प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय ने कहा कि जो समझौता हुआ है वह मोर आर लेस—वह मोर नहीं है, लेस ही ज्यादा है—ठीक तरह से काम कर रहा है । क्या यह सच है कि इस समझौते के अनुसार 45 परसेंट यार्न सप्लाई ऐक्चुअल यूजर्स के लिए सुरक्षित थी, लेकिन इस समझौते पर अमल नहीं किया गया और उन्हें मुश्किल से 30 फीसदी यार्न दिया गया । जो स्पिनर्स हैं उन्होंने यह भी नहीं बतलाया कि जो 7 परसेंट प्रोडक्शन है उसका क्या हुआ, वह किस तरह से काम में लाया गया ।

मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय ने अमृतसर के करघों के आधुनिकीकरण के प्रश्न को बीच में लाकर सारे मामले को टालने कीं कोशिश की । आधुनिकीकरण एक अलग प्रश्न है । लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि इन करघों को कच्चा माल मिलेगा या नहीं, धागा मिलेगा या नहीं तथा उचित मूल्य पर मिलेगा या नहीं ? यह सरकार घोषणा करती है कि वह छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को मदद देना चाहती है, लेकिन जब व्यवहार का प्रश्न आता है तो जो बड़े उद्योग हैं वह लाभ में रहते हैं, छोटे और मध्यम उद्योग वाले पिसते हैं । मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यह समझौता एक कामचलाऊ समझौता था, और यह अच्छी तरह अमल में नहीं लाया गया, स्पिनर्स उस पर आचरण नहीं कर रहे हैं तो इसको बदला क्यों नहीं जाता ?

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट सदन में आज रखने में मन्त्री महोदय को क्या आपत्ति है ? आश्चर्य की बात है कि मंत्री महोदय कहते हैं कि रबर कमोडिटीज के बारे में टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट दो तीन साल तक प्रकाश में नहीं आई, अगर इस मामले में आठ महीने तक प्रकाश में नहीं आई तो क्या बिगड़ गया ? क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि यह कह कर वह सारी सरकार के आचरण को निन्दित कर रहे हैं ? टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट अगर दो चार साल तक पर्दे में रहेगी तो टैरिफ कमिशन अप्वाईंट करने का कोई मतलब नहीं है। आखिर कमिशन के इतने सदस्यों का समय और शक्ति को बरबाद करने का सरकार को क्या अधिकार है ?

मैं चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट वह आज सदन की मेज पर रख दे । वह कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है । उसका सम्बन्ध भारत की सुरक्षा से नहीं है । यह कोई गुप्त दस्तावेज है यह दावा मंत्री महोदय नहीं कर सकते । कमिशन की रिपोर्ट यहां पर आनी चाहिये और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी चाहिये ।

श्री ल० ना० मिश्र : मैं दो टूक करने वाला नहीं हूं, जोड़ने वाला हूँ । अटल जी दो टूक किया करते हैं ।

[श्री ल० ना० मिश्र]

जहां तक इन्टेरिम रिपोर्ट का सम्बन्ध है हम लोगों ने जब देखा कि फाइनल रिपोर्ट आने में विलम्ब हो रहा है और व्यवसाय की हालत ठीक नही है तो हमने टैरिफ कमिशन से कहा यदि वह ज्यादा समय लेने वाला है तो इन्टेरिम रिपोर्ट दे दे। इन्टेरिम रिपोर्ट देने के लिए हम उसके शुक्र गुजार हैं...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने किया क्या है ?

श्री ल० ना० मिश्र : इम्प्लेमेंट किया है।

इन्टेरिम रिपोर्ट आने के बाद टैक्सटाइल कमिशनर ने वीवर्ज की, स्पिनर्ज आदि की बैठक बुलाई। उन लोगों ने एक फार्मुला निकाला...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्टेरिम रिपोर्ट में यह रिकोमेंडेशन थीं ?

श्री ल० ना० मिश्र : इन्टेरिम रिपोर्ट आप रखवाना चाहें तो मैं रखने के लिए तैयार हूं। पढ़ कर भी सुना सकता हूँ अगर आप चाहें तो। लेकिन उसको रखने से कोई फायदा नहीं है। वीवर्ज और स्पिनर्ज दोनों ने आपस में बैठ कर तय किया कि 45 परसेंट एक्चुअल यूजर्ज लेंगे, 45 परसेंट स्पिनर्ज रखेंगे और दस परसेंट रिजर्व रखेंगे। इसको मैं आप को पढ़कर सुना देना चाहता हूँ :

Of the total production minus rejects 10% was intended for replenishment against exports 45% of that would be given for actual users for *pro rata* distribution at fixed price whereas the remaining 45% will be sold in the open market at the spinners' discretion.

Under the voluntary agrrement distribution of 45% of yarn earmarked for actual users is done by the Central Committee consisting of representatives of yarn producers and weavers' associations through its regional committees set up in different areas.

यह जो समझौता हुआ यह संतोषप्रद ढंग से चला और सबको सैटिसफेक्शन हुआ। लेकिन यह समझौता छः महीने तक के लिए किया गया था। फिर इसको छः महीने और बढ़ा कर एक साल के लिए करना पड़ा यानी यह दिसम्बर 30 तक है। इसको हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। टेरिफ कमीशन की जो फाइनल रिपोर्ट है उसकी हम जांच करा रहे हैं। मेरे मन्त्रालय का ही इससे सम्बन्ध नहीं है। हम लोगों ने उसकी जांच कर ली है। दूसरे मंत्रालय, जैसे पैट्रोलियम एन्ड केमिकल, इन्डस्ट्रीयल डिवेलेपमेंट और फाइनेंस, वे भी इससे सम्बन्धित हैं। तीनों के बिचार जानकर हम लोग केबिनेट में जाना चाहते हैं और ठीक से इस काम को करना चाहते हैं इंटेरिम रिपोर्ट मांग कर मैं समझता हूं हमने कोई गलती नहीं की है, कोई कसूर नहीं किया है। हम वीवर्ज को जो भी मदद कर सकते हैं, कर रहे हैं और हर तरह मदद करने की हमने कोशिश की है। उनकी जरूरियात को हमने बहुत हद तक पूरा किया है सिवाय अमृतसर के बुनकरों की जरूरतों को छोड़कर। इंटेरिम रिपोर्ट मांगना जरूरी था, राष्ट्रहित में था। जहां तक फाइनल रिपोर्ट को सभा की मेज पर रखने का सवाल है, इसको तभी रखा जाएगा जबकि हम इस पर कोई अन्तिम फैसला ले लेंगे। चूंकि फाइनल रिपोर्ट का असर पड़ने वाला है व्यवसाय पर, इस वास्ते जब सरकार का फैसला हो जाएगा तब इसको सदन की पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री महोदय ने कहा है कि 45 परसेंट एक्चुअल यूजर्ज को मिलेगा लेकिन उनको मिला है तीस प्रतिशत ही।

श्री ल० ना० मिश्र : इसके बारे में शिकायत है तो मुझे सूचित किया जाए तो मैं इसको देखूंगा।

श्री हरदयाल देवगुन (पूर्व दिल्ली) : इस की पृष्ठभूमि यह है कि आठ बड़े बड़े उत्पादक हैं जो धागा तैयार करते हैं और जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी तादाद सैकड़ों और हजारों में है। सवाल यह है कि इस्तेमाल करने वालों की जरूरत 45 प्रतिशत कैसे आंकी गई ? 43,000 टन में से कितनी उनकी जरूरत थी और कितनी पूरी की गई ? जितनी उनकी जरूरत थी उसके मुताबिक उनको धागा दिया गया या नहीं दिया गया ? मैं समझता हूँ कि नहीं दिया गया। अगर उनकी जरूरत को पूरा नहीं किया जाता है तो बाहर धागा बेचने का क्या मतलब है ? उनकी जरूरत पूरी नहीं हुई लेकिन बाकी धागा बाहर बेचने की इजाजत दे दी गई। यह धागा ब्लैकमार्किट में बिका और एक साल ब्लैकमार्किट करने की उनको खुली छूट दी गई। यह बहुत अनुचित बात थी। आपने ऐसा करके ब्लैकमार्किट को संरक्षण दिया. उसको प्रोत्साहन दिया। इससे जो छोटे उद्योगपति थे उनको नुकसान पहुंचा।

आठ महीने हो गये हैं टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट को आये हुए। आपने सब लोगों से राय मांगी है। नौ महीने में तो उस पर कोई निर्णय हो जाना चाहिए था। जिस तरह से आपने दूसरे मन्त्रालयों की राय मांगी है टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट पर उसी तरह से क्या आप इसको सदन की मेज़ पर नहीं रख सकते थे ताकि यहां के लोग भी उसके बारे में आप को राय देते, आपका मार्ग दर्शन करते ? इसमें आप को क्या आपत्ति थी ?

इन्टेरिम एग्रीमेंट 31 दिसम्बर, 1970 को खत्म हो रहा है। क्या उससे पहले आप टैरिफ कमीशन की फाइनल रिपोर्ट पर कोई अन्तिम निर्णय ले लेंगे या नहीं लेंगे ? अगर नहीं ले सकेंगे तो यह जो इन्टेरिम समझौता है, इसको आप आगे एक्सटेंड करेंगे ? उनको सहायता देने के लिए, ठीक तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको माल मिल सके और ठीक दर पर मिल सके, इसके बारे में आप कोई योजना बनएंगे, कोई प्रबन्ध करेंगे ?

टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने में आपको क्या आपत्ति है ? क्या आप इसको यहां रखेंगे ?

श्री ला० ना० मिश्र : जहां तक पूरी जरूरियात का सम्बन्ध है, उसको हम पूरा माह नहीं कर सके हैं, वीवर्ज को हम पूरा नहीं दे सके हैं। इसी वास्ते तो यह समस्या खड़ी हुई थी। अगर पर्याप्त सप्लाई होती तो रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल कहाँ से पैदा होता है। तब डिमांड एन्ड सप्लाई के मुताबिक सब बात हो सकती थी। चूंकि कमी थी, इसी वास्ते कन्ट्रोल वगैरह की जरूरत पड़ी। तभी 45 परसेंट इधर किया और 45 परसेंट उधर किया और 10 परसेन्ट रिप्लैनिशमेंट के लिए रखा। मैं जानता हूं कि उनकी सारी जरूरियात पूरी नहीं हुई हैं जहां तक आठ महीने का सवाल है, आठ महीने नहीं लगे हैं। अप्रैल 69 में रेयान की इन्टेरिम रिपोर्ट आई थी और 1 अप्रैल, 1970 को फाइनल रिपोर्ट। नाइलोन की फाइनल रिपोर्ट को आए सवा महीना ही हुआ है। जब तक हम फैसला उस पर नहीं ले लेते हैं तब तक उसको यहां रहीं रखा जा सकता है। मेरी यह इच्छा है और मैं चाहता हूं कि 30 दिसम्बर के पहले ही हम कोई फैसला ले लें। लेकित अगर ऐसा नहीं हो सका और हम कोई फाइनल निर्णय नहीं ले सके तो इस तिथि को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि जल्दी ही इस पर कोई निर्णय हो जाए।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : (भोपाल) यह सरकार छोटे उद्योगपतियों के लिए हमदर्दी तो बहुत दिखाती है, नाम तो हमेशा समाजवाद का लेती है लेकिन काम पूंजीवाद को बढ़ाने का, उसको समर्थन देने का किया जाता है...

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) अध्यक्ष महोदय, कैसी कैसी बातें करने लग गये हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बनर्जी साहब कानपुर से आये हैं। कुछ दाल में काला जरूर है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : धागे के उत्पादन में पिछले बीस साल में काफी वृद्धि हुई है। दो हजार टन से 43 हजार टन तक उत्पादन को हमने पहुंचा दिया है। इतना होने के बावजूद भी छोटे उद्योग धन्धों की जितनी आवश्यकताएं है वे पूरी नहीं होती है। अन्तरिम काल के लिए जब यह निश्चय हो गया कि 45 प्रतिशत कम से कम उनको मिले तो जब केवल 30 प्रतिशत जितना मिला तो कैसे मन्त्री महोदय कहते हैं कि मुझको पता नहीं। बाकी 45 प्रतिशत पर फैक्ट्रियों ने अनाश शनाप मुनाफा कमाया, कहीं 50 प्रतिशत और कहीं 76 प्रतिशत। सब देखने और सुनने के बाद जब मंत्री महोदय ने यह कहा कि

> "I have also asked the yarn producers not to create artificial scarcity by diverting free sale supply away from the normal consuming areas."

तो मुझे हंसी आ गयी। इसका साफ मतलब है कि बीमारी की जानकारी उनको है। वह जानते हैं कि बीमारी क्या है। जहां जाना चाहिए वहां वह जाते नहीं हैं. So, it is not that the Minister is totally unaware of the fact. इसके बाद जब यह कहा गया है कि अनाप-शनाप उन्होंने मुनाफा किया है, तो इसकी कुछ उन्होंने छानबीन की है क्या? मुझे एक आरोप यहां करना है कि आज हर चीज यहां राजनीति के मामलों से देखी जाती है। वास्तव में रबड़ के बारे में टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट काफी समय से पड़ी हुई थी जो केरल के चुनाव के समय खुली थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 1971 के मार्च-अप्रैल में जो पार्लियामेंट के लिए चुनाव कराने का विचार है उसको ध्यान में रखकर तो आप ने यह नहीं बताया कि उसी के पहले हम टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट को जाहिर करेंगे? वास्तव में जब एक सीमावर्ती प्रदेश के अंतर्गत 2 लाख लोग इस पर अपने जीवनयापन के लिए निर्भर करते हैं ऐसी स्थिति में आप उनकी हालत देखिए। जैसा कि और मित्रों ने कहा 10 अप्रैल 1970 को वह रिपोर्ट आई है। सात महीने हो गये। अभी यह कहते हैं एक दो महीने और लगेंगे, पूरे नौ महीने हो जायेंगे। किन्तु मेरा कहने का मतलब यह है कि मध्यान्तर की स्थिति में कम से कम जो आज हार्ड हिट हैं उनको कुछ राहत मिले उस दृष्टि से कुछ ठोस कदम कौन से अपनाये जा रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री ल० ना० मिश्र : क्या सवाल है अध्यक्ष महोदय? मैंने तो पहले कहा था। 30 प्रतिशत की बात जो अटल जी ने उठाई वही उन्होंने भी उठाई। हमने इतना ही कहा कि हमने स्पिनर्स बुलाया था और कहा था कि आप आर्टिफिशियल स्केर्यासिटी यार्न की क्रियेट न करें। यह बात नहीं है, कि 30 प्रतिशत दे रहे हैं, या 45 प्रतिशत नहीं दे रहे हैं। शिकायत हमारे पास में यह आई थी कि कीमतें बहुत बढ़ाई जा रही हैं हमने उनको बुला कर यह कहा था आप इस तरह से जो आर्टिफिशियल स्केर्यासिटी क्रियेट कर रहे हैं यह क्यों कर रहे हैं? शायद माननीय सदस्यों को याद न हो, हमारे पास शिकायत ऐसी पहुंची कि अगर अमृतसर में आवश्यकता है यार्न की तो जो कुछ उत्पादित माल है उसको पूना भेज दिया। पूना में खपत नहीं है। अमृतसर वाले तकलीफ में पड़े रहते हैं। फिर अमृतसर में ज्यादा उत्पादन हुआ तो फिर पूना भेज दिया। यानी हमें इस तरह की शिकायत आई कि यह जो स्पिनर्स लोग हैं या बड़े लोग हैं इस तरह से यहां से वहां और वहां से यहां भेजा-भेजी कर रहे हैं। इस तरह से लोगों को तक्लीफ में डालने की बात होती थी। तो यह बात यह बात हम उनको नोटिस में लाये

कि अगर इस तरह से करेंगे तो ठीक बात नहीं होगी और आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि टैरिफ कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको जब हम कार्यान्वित करेंगे तो जैसा माननीय सदस्य जानते हैं सरकार की तरफ से उसका फैसला होगा और हम ज्यादा से ज्यादा भरोसा करते है कि वालेंटैरिली एग्रीमेंट से चीज चले। लेकिन अगर नहीं चलेगी तो हम स्टेट्यूटरी कार्यवाही भी करेंगे, कानूनी पाबन्दी भी लगायेंगे जिससे कि उचित कीमत पर वीवर्स को यह चीज मिले। क्यों कि सबसे खास बात यह है कि इस देश में आज सिथेटिक फैब्रिक बहुत महंगा है। किसी भी देश से तुलना कीजिए, यह फंटेस्टिक है। इतनी कीमत नहीं होनी चाहिए सिंथेटिक फाइबर का अपने देश में। उसकी कीमत घटाना जरूरी है। हमारी बगल में एक छोटा सा देश है नैपाल। उसके यहां भी सिंथेटिक फाइबर हमारे यहां से सस्ता है चाहे वह अपने यहां बनाता है चाहे बाहर से मंगाता है। लेकिन हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इस लिए जरूरी है कि वह सस्ता हो। उसकी कीमत तभी कम होगी जब कि स्पिनर्स लोग वीवर्स को सस्ते दाम पर और उचित कीमत पर इस चीज को दें हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 30 दिसम्बर तक अन्तिम समय है अन्तरिम अरेंजमेंट का। हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले फैसला कर सकें और उसको हम कार्यान्वित करें। अगर जरूरी हुआ तो हम स्टेट्यूटरी कार्यवाही भी करेंगे।

12.53 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications etc. under Hindu Marriage Act

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI JAGANATH RAO): I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of section 8 of the Hindu Marriage Act, 1955 :—

(i) The Delhi Hindu Marriage Registration Rules, 1956 published in Notification No. F. 22(5)/55-LSG in Delhi Gazette dated the 27th September, 1956.

(ii) The Delhi Hindu Marriage Registration (Amendment) Rules, 1970 published in Notification No. F. 14(4)/61-Judl. in Delhi Gazette dated the 7th May, 1970 (English version) and 21st May, 1970 (Hindi version) [*Placed in Library. See* No. LT—4358/70]

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying in the above Notifications. [*Placed in Library. See* No. LT—4359/70]

Papers re: Khadi Commission

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI M. R. KRISHNA): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Certified Accounts of the Khadi and Village Industries Commission for the year 1966-67 together with the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 23 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956.

(2) A statement showing reasons for delay in laying the above document. [*Placed in Library. See* No. LT—4360/70]

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received form the Secretary of Rajya Sabha :—

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha,